

संख्या-2969 /नौ-8-2025/002/8/2022-1659291

प्रेषक,

पारस नाथ,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय निदेशालय,
उत्तर प्रदेश लखनऊ ।

नगर विकास अनुभाग-8

लखनऊ: दिनांक: 31 दिसम्बर, 2025

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में पं. दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना के अन्तर्गत नागर निकायों को पूर्व में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निर्गत की गयी वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष चालू कार्यों हेतु द्वितीय किशत/अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में नगर निकायों को अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु पं. दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना के अन्तर्गत विभिन्न शासनादेशों द्वारा विभिन्न नागर निकायों द्वारा प्रस्तुत कार्ययोजना के आधार पर संबंधित कार्यों हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उनके सापेक्ष प्रथम किशत के रूप में पूर्व में धनराशि अवमुक्त की गयी थी, जिसके सापेक्ष 03 नागर निकायों द्वारा पं. दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना के अन्तर्गत पूर्व में अवमुक्त की गयी धनराशि का उपयोग करते हुए द्वितीय किशत/अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अतः पं. दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजनान्तर्गत वित्तीय वर्षों में जारी किये गये शासनादेशों में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत निम्नलिखित 03 नागर निकायों को उनके नाम के सम्मुख अंकित धनराशि चालू कार्यों हेतु कुल धनराशि ₹0 481.20 लाख (रूपये चार करोड़ इक्यासी लाख बीस हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र. सं.	निकाय का नाम	शासनादेश संख्या व दिनांक	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि (लाख में)	प्रथम/द्वितीय किशत में अवमुक्त की गई धनराशि (लाख में)	द्वितीय/तृतीय किशत की देय धनराशि (लाख में)
1	2	3	4	5	6
1	नगर पंचायत परसपुर, जनपद-गोण्डा	शा0सं0-541/9-8-19-12डी0डी0यू0(बजट)/2019, दिनांक 18 फरवरी, 2019	400.00	200.00	181.72
2	नगर पंचायत पनियरा, जनपद-महराजगंज	शा0सं0-2531/9-8-2024-1681633 दिनांक 29 नवम्बर, 2024	400.00	200.00	199.48
3	नगर पंचायत ऊमरी, जनपद-जालौन	शा0सं0-144/2023/9-8-23/001-04डी.डी.यू.-बजट-23 दिनांक 04 अक्टूबर, 2023	200.00	100.00	100.00
		कुल योग	1000	500	481.20

(रूपये चार करोड़ इक्यासी लाख बीस हजार मात्र)

नियम व शर्तें/प्रतिबन्ध

(1) निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश द्वारा पं. दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना के अन्तर्गत अवमुक्त की गयी धनराशि संबंधित नगर निकायों के द्वारा पं. दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना हेतु राष्ट्रीयकृत बैंक में खोले गये बचत खाते में सीधे 07 दिन के अन्दर ई-पेमेण्ट के माध्यम से अन्तरित की जायेगी।

(2) निर्माण कार्यो हेतु कार्यदायी संस्था को दो-दो माह की आवश्यकतानुसार धनराशि निर्गत की जायेगी। विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष में तैनात वित्त नियंत्रक का यह उत्तरदायित्व होगा कि धनराशि का कोषागार से आहरण दो-दो माह की आवश्यकता के अनुसार ही किया जाए।

(3) संबंधित नागर निकायों को अवमुक्त की जा रही द्वितीय किश्त की धनराशि की उपयोगिता अवधि दिनांक 31 मार्च, 2026 तक के लिए निर्धारित है। अतः उक्त अवधि में द्वितीय किश्त की धनराशि का उपयोग कर निर्धारित प्रारूप में उपयोगिता प्रमाण-पत्र फोटोग्राफ सहित निदेशक, स्थानीय निकाय एवं महालेखाकार कार्यालय के साथ ही शासन को भी उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(4) संबंधित नागर निकायों को पं. दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना के अन्तर्गत जारी की गयी वित्तीय स्वीकृति से संबंधित शासनादेशों की शर्तें यथावत् रहेगी।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रू० 481.20 लाख (रूपये चार करोड़ इक्यासी लाख बीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-037 लेखाशीर्षक 2217031930500 पं० दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत मानक मद 35 पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभागों को उक्तवत् प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

Digitally signed by

PARS NAATH

Date: 31-12-2025

16:55:08

(पारस नाथ)

अनु सचिव ।

संख्या- 2969 (1)/9-8-2025/002/8/2022-1659291-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निजी सचिव, मा० मंत्री जी/राज्यमंत्री जी, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।
3. संबंधित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. संबंधित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, संबंधित निकाय।
7. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
10. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(पारस नाथ)

अनु सचिव ।